प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1272/2018

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक 11.12.2024

निर्णय पारित करने का दिनांक 25.03.2025

गजेंद्र उर्फ पप्पू साहू पिता सुखदेव साहू, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी– उरकुरा, बाजार चौक थाना खमतराई जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा–प्रभारी आरक्षी केन्द्र खमतराई जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री योगेश पाण्डेय, अधिवक्ता
उत्तरवादी की ओर से	:	सुश्री लक्ष्मीन कश्यप, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास

सी ए वी निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 52/2018 में दिनांक 26.06.2018 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी गजेन्द्र उर्फ पप्पू साहू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 34 के अधीन सिद्धदोष करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/– रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.03.2017 को अपरान्ह लगभग 3.00 बजे थाना खमतरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी बहन को उरकुरा रेलवे स्टेशन पर छोडने के बाद अपनी मोटर–साइकिल होंडा शाइन की ओर लौटा, जहां वह खड़ी थी, वहां पहले से खड़े दो अज्ञात व्यक्तियों ने उससे रास्ता पूछा, जिसमें एक व्यक्ति उसके पास आया, चाकू की नोक पर उसे धमकाया और उसका मोबाइल, उसके मोटर–साइकिल की चाबी, तीन एटीएम कार्ड, 350–300 रूपये नगद तथा 8,000 रूपये का एक अकाउंट देय चेक लूटकर भाग गया। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात

व्यक्ति के विरूद्ध धारा 392 भा.द.सं. के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–8) अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया, नक्शा तैयार किया तथा सह–अभियुक्तों के कथन दर्ज किये तथा सह–अभियुक्तों के कथन के आधार पर अभियुक्तों से अन्य सामग्री बरामद किया गया।

3. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को उपार्पित किया, जिसे सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2018 के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

4. अपीलार्थी के अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 9 साक्षियों, कन्हैया लाल ठाकुर (अ.सा.–1), श्रीमती मालती जायसवाल (अ.सा.–2), अजय देवांगन (अ.सा.–3), रमेश कुमार सिन्हा (अ.सा.–4), योगेन्द्र वर्मा (अ.सा.–5), प्रेम लाल सिन्हा (अ.सा.–6), निरीक्षक योगिता खापर्डे (अ.सा.–7) का परीक्षण किया तथा प्रदर्शित दस्तावेज पत्र दिनांक 05.05.2017 (प्र.पी.–1), नक्शा (प्र.पी.–2 व प्र.पी.–10), राकेश देवदास (प्र.पी.–3) का मेमोरेंडम कथन, जब्ती पत्रक (प्र.पी.–4), जब्ती पत्रक (प्र.पी.–5), गजेन्द्र साहू (प्र.पी.–6) का गिरफ्तारी मेमो, राकेश देवदास मानिकपुरी (प्र.पी.–7) का गिरफ्तारी मेमो, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–8), घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी.–9), शिनाख्त परेड परीक्षा (प्र.पी.–11), अभियुक्त देवदास मानिकपुरी (प्र.पी.–12) की गिरफ्तारी की सूचना, अभियुक्त गजेन्द्र की गिरफ्तारी की सूचना (प्र.पी.–13), दिनांक 05.05.2017 का पत्र जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(ख) के अधीन प्रमाण पत्र मांगा गया (प्र.पी.–14), अभियुक्त की शिनाख्त परेड परीक्षा(प्र.पी.–15) और कॉल विवरण मांगने के संबंध में नोट शीट (प्र.पी.–16)। अपीलार्थी ने अपने समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. मालती जायसवाल (प्र.पी.–2) ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि घटना के समय वह वहां उपस्थित नहीं थी तथा घटना के संबंध में उसने न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी कहा वह उसके भाई ने बताया।

6. शिकायतकर्ता (अ.सा.–4) से न्यायालय के समक्ष परीक्षण की गई जिसमें उसने बताया कि घटना दिनांक को उसने अपनी होंडा शाइन मोटर–साइकिल रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर खड़ी की तथा अपनी बहन को छोड़ने के लिए प्लेटफार्म पर गया। वापस आने पर उसने देखा कि वहां पहले से ही दो अज्ञात व्यक्ति खड़े थे तथा उनमें से एक व्यक्ति उसके पास आया तथा रास्ते के बारे में पूछा तथा चाकू की नोक पर उसका पर्स, सैमसंग मोबाइल, मोटर–साइकिल लूट लिया। तत्पश्चात उसने अपनी छोटी बहन के मोबाइल पर अपने भाई को घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात, उसके भाई द्वारा थाना खमतराई में लूट की घटना प्र.पी.–8 के अधीन दर्ज कराई गई। इस साक्षी ने आगे कथन किया कि घटना से पहले

वह अभियुक्त को नहीं जानता था और प्रथम बार उसने अभियुक्त को न्यायालय में और शिनाख्त परेड के दौरान देखा था। उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल छीन लिया और उसने शिनाख्त परेड में अभियुक्त को शिनाख्त लिया। उसने आगे कथन किया कि उसने अपनी मोटर–साइकिल पार्किंग स्टैंड पर नहीं खड़ी की थी और चाकू की नोंक पर हुई लूट के बारे में उसने पुलिस को सूचना नहीं दी।

7. तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा (अ.सा.–5) का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके समक्ष प्र.पी–11 के अन्तर्गत शिनाख्त परेड कराई गई थी जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त की गई। पटवारी कन्हैयालाल ठाकुर (अ.सा.–1) ने बताया कि उनके द्वारा (प्र.पी–1) के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर (प्र.पी–2) के अन्तर्गत नक्शा तैयार किया गया था।

8. इंस्पेक्टर योगिता खापर्डे (अ.सा.–7) की न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि मौखिक शिकायत के आधार पर उनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 135/2017 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–8) पंजीबद्ध की गई थी। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी से एक चाकू जब्त किया गया था, जो एक अन्य अपराध क्रमांक 146/2017 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 34 के अधीन था, जो अपीलार्थी गजेंद्र साहू के विरुद्ध उसी थाना में पंजीबद्ध था। उन्होंने आगे कथन किया कि चाकू और मोटरसाइकिल अपराध क्रमांक 146/2017 में जब्त की गई थी। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मोटरसाइकिल होंडा शाइन को अपराध क्रमांक 146/2017 में अभियुक्त गजेंद्र से जब्त किया गया था और अभियोग–पत्र में मेमोरेंडम कथन की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की गई थी क्योंकि मूल अभियोग–पत्र अपराध क्रमांक 146/2017 से संबंधित है, इसलिए उसने कथन किया है कि अभियुक्त से कोई भिन्न मेमो तैयार नहीं किया गया था। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–8) की सामग्री को दोहराया है और अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों की विवेचना करने के उपरांत अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 सहपठित धारा 34 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध साबित करने में सक्षम है और इस प्रकार अपीलार्थी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि यद्यपि मोटरसाइकिल और चाकू को वर्तमान प्रकरण में जब्त नहीं किया गया है, परंतु इसे किसी अन्य अपराध क्रमांक में जब्त किया गया है, जिसे अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि

इसकी दोषपूर्ण अन्वेषण अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं देती है। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की उचित विवेचना किए बिना अपीलार्थी को अनुचित रुप से सिद्धदोष किया है और अभियोजन के साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास व लोप हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 397 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उक्त अपराध के घटकों के अनुसार घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल अभियोजन द्वारा अभियुक्त से बरामद किया जाना चाहिए था, तभी अपीलार्थी की संलिप्तता अभियोजन द्वारा साबित की जा सकती थी परंतु अभियोजन इसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। उन्होंने आगे कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 15 में अभिनिर्धारित किया है कि शिनाख्त परेड संदिग्ध थी, यहां तक कि साक्षियों के कथन के आधार पर भी विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सिद्धदोष किया, यद्यपि गजेंद्र साहू से कोई सामग्री जब्त नहीं किया गया था, ऐसे में अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में अनुचित है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाए तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता ने मुख्यतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निष्कर्ष एवं दण्डादेश का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अभियोजन ने अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और अपीलार्थी को उसके द्वारा कारित अपराध के लिए उचित रुप से सिद्धदोष किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. इस न्यायालय ने अपीलार्थी के दण्डादेश के निलंबन एवं जमानत प्रदान करने हेतु दिनांक 02.11.2020 के आवेदन को स्वीकार किया है, क्योंकि वह पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित कारावास के दण्ड का पचास प्रतिशत भाग भुगत चुका है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

14. उपरोक्त तथ्यात्मक अवधारणा पर इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाने वाला बिन्दु यह है कि अभियोजन द्वारा किया गया शिनाख्त परेड वैध था या नहीं, यदि वैध नहीं है तो इसका क्या प्रभाव है।

15. इस बिन्दु के विवेचना हेतु, इस न्यायालय को तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा (अ.सा.–5) के साक्ष्य पर विचार करना होगा, जिन्होंने शिनाख्त परेड परीक्षा (प्र.पी.–11) का पंचनामा किया है। इस साक्षी ने

न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने विश्वनाथ साहू और तरुण साहू के समक्ष अभियुक्त के सिर पर हाथ रखकर उसकी शिनाख्त की है। विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया है, जिसके समक्ष शिकायतकर्ता ने अभियुक्त की शिनाख्त की है, ऐसे में यह शिनाख्त परेड परीक्षा (टीआईपी) की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है। यह विधि का सुस्थापित स्थिति है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत टी.आई.पी. दाण्डिक अभियोजन में मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल संपोषक साक्ष्य है। अन्वेषण के स्तर के दौरान शिनाख्त परेड आयोजित करने का प्रयोजन, सबसे पहले, यह सुनिश्चित करना है कि जांच अभिकरण उचित दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां अभियुक्त अज्ञात है और दूसरा, जब साक्षी परीक्षण के दौरान अभियुक्त की शिनाख्त करते हैं, तो संपोषक साक्ष्य के रूप में कार्य करना है। टी.आई.पी. केवल संपोषक साक्ष्य है और शिनाख्त के प्राथमिक प्रमाण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। "यदि टीआईपी में किसी व्यक्ति या वस्तु की शिनाख्तकर्ता साक्षी का विचारण के दौरान परीक्षण नहीं किया जाता है, तो टी.आई.पी. रिपोर्ट, जो साक्षी की संपुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, शिनाख्त के प्रयोजन हेतु अपना साक्ष्यिक मूल्य खो देती है, क्योंकि अ.सा.–5 द्वारा की गई ऐसी शिनाख्त विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और यह संदिग्ध हो जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. टी.आई.पी. के साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में विधि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय विषय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.आई.पी. के साक्ष्यिक मूल्य और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा इसे साबित करने की आवश्यकता के अपालन के प्रभाव का परीक्षण किया है। कुछ निर्णय निम्नानुसार हैं:–

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रामेश्वर सिंह विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर राज्य 1971 (2) एससीसी 715** में प्रतिवेदित प्रकरण में पैरा–6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> 6. अपीलार्थी की शिनाख्त से संबंधित साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व यह स्मरण रखना चाहिए कि साक्षी का मूल साक्ष्य न्यायालय में उसका साक्ष्य होता है, परंतु जब अभियुक्त व्यक्ति संबंधित साक्षी को पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद साक्षी द्वारा उसकी शिनाख्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जांच अभिकरण को यह आश्वासन मिलता है कि जांच उचित दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ ही इससे पश्चातवर्ती न्यायालय में विचारण के दौरान साक्षी द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की संपुष्टि भी होती है। इस दृष्टिकोण से यह जांच अभिकरण और अभियुक्त दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा न्याय के समुचित प्रशासन हेतु भी यह आवश्यक है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद ऐसी शिनाख्त बिना किसी

अनावश्यक और अनुचित विलम्ब के की जाए, तथा सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से किए जाएं, ताकि जांच उचित दिशा में आगे बढ़े और वास्तविक अपराधी को दंडित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह संबंधित साक्षी के लिए भी उचित होगा जो अभियुक्त के लिए अज्ञात था क्योंकि उस स्थिति में उसकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने की संभावना कम हो जाती है और उसे घटना के बाद शीघ्र अति शीघ्र संभावित अवसर पर कथित अपराधी की शिनाख्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार और केवल इस प्रकार ही अभियुक्त और अभियोजन दोनों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। पुलिस अन्वेषण के दौरान शिनाख्त, यह स्मरण हो, विधि में मूल साक्ष्य नहीं है और इसका उपयोग केवल संबंधित साक्षी द्वारा न्यायालय में दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, शिनाख्त परेड इस प्रकार से की जानी चाहिए कि विचारण के दौरान उनके संबंध में दिए गए साक्ष्य न्यायालय को शिनाख्त करने वाले साक्षियों के न्यायालय में कथन की संपुष्टि या खंडन करने के प्रयोजन से इसके साक्ष्यिक मूल्य के विषय में उचित न्यायिक अभिमत बनाने में सक्षम बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) **हरि नाथ व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, 1988(1) एससीसी** 14 में प्रतिवेदित प्रकरण के पैरा 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है।

20. शिनाख्त का साक्ष्य केवल मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि करता है और उसे मजबूत बनाता है जो अकेले ही शिनाख्त के लिए प्राथमिक और मूल साक्ष्य है। हसीब विरुद्ध बिहार राज्य में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

..... शिनाख्त परेड का प्रयोजन उस साक्ष्य का जांच करना है, सुरक्षित नियम यह है कि अभियुक्त की शिनाख्त के बारे में न्यायालय में साक्षी का शपथ साक्ष्य, जो उसके लिए अज्ञात है, एक सामान्य नियम के रूप में, पहले की शिनाख्त कार्यवाही के रूप में संपुष्टि आवश्यक है।

17. पुनः **उमेश चंद्र विरुद्ध उत्तराखंड राज्य 2021 (17) में एससीसी 616** में प्रतिवेदित प्रकरण के पैरा–9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन शिनाख्त परेड दाण्डिक अभियोजन में मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल संपुष्टि साक्ष्य है। जांच के चरण के दौरान शिनाख्त परेड आयोजित करने का प्रयोजन केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच अभिकरण प्रथम

दृष्टया उचित कार्यवाही की दिशा में आगे बढ़ रही थी, जहां अभियुक्त अज्ञात हो सकता है या अभियुक्त की क्षणिक झलक थी। इसलिए शिनाख्त परेड में केवल शिनाख्त दोषसिद्धि हेतु मूल आधार नहीं बन सकती, जब तक कि शिनाख्त की संपुष्टि करने वाले अन्य तथ्य और परिस्थितियां न हों।

10. परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच का एक हिस्सा होने के नाते शिनाख्त परेड को अभियोजन द्वारा विधि के अनुसार आयोजित किया गया साबित करना होगा। यह स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पर है कि शिनाख्त परेड विधि के अनुसार आयोजित की गई थी। अभियोजन द्वारा प्रथम दृष्टया वैध टीआईपी स्थापित किए जाने के पश्चात ही उस पर किसी आपत्ति पर विचार करने का प्रश्न उठता है। यदि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि टीआईपी साक्षियों से उचित रूप से परीक्षण करके आयोजित की गई थी, तो अभियुक्त के पास खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है। वर्तमान प्रकरण में, एक मजिस्ट्रेट द्वारा टीआईपी आयोजित किए जाने की बात कही गई है। मजिस्ट्रेट का परीक्षण नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य अ.सा.–4 थाना प्रभारी का है कि अन्वेषण के दौरान टीआईपी जिला कारागार, नैनीताल में आयोजित की गई थी और उसने न्यायालय में कार्यवाही की शिनाख्त की है। कार्यवाही की शिनाख्त असंगत है क्योंकि स्पष्ट रूप से वह टीआईपी के दौरान उपस्थित नहीं हो सकता था। इसलिए टीआईपी, जो जांच का एक हिस्सा है, उसे साबित नहीं किया जा सकता है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसे विधि के अनुसार आयोजित किया गया था। दूसरी बात यह है कि जब तक अभियोजन अभियुक्त की शिनाख्त प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक बार–बार टीआईपी नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विनोद उर्फ नसमुल्ला विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2025 आईएनएससी 220** में प्रतिवेदित प्रकरण में जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

14. .....इस प्रकार, यदि टीआईपी में किसी व्यक्ति या वस्तु की शिनाख्त साक्षी से विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की जाती है, तो टीआईपी रिपोर्ट जो उसकी संपुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, शिनाख्त के प्रयोजनों के लिए अपना साक्ष्यिक मूल्य खो देगी। उपर्युक्त विधिक सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि जब तक साक्षी कटघरे में प्रवेश नहीं करता है और स्वयं को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि उसने किस आधार

पर व्यक्ति या वस्तु की शिनाख्त की। क्योंकि यह बहुत संभव है कि टीआईपी आयोजित करने से पूर्व अभियुक्त को साक्षी को दिखाया जा सकता है या साक्षी को अभियुक्त की शिनाख्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसा भी हो, एक बार जब टीआईपी के दौरान अभियुक्त की शिनाख्त करने वाले व्यक्ति को विचारण के दौरान साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो टीआईपी किसी अन्य साक्षी द्वारा शिनाख्त को यथावत रखने के लिए उपयोगी नहीं है।

19. उपर्युक्त विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि टीआईपी का साक्ष्यिक मूल्य मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल संपोषक साक्ष्य है और जब तक उन साक्षियों से, जिनके समक्ष शिकायतकर्ता या पीड़ित ने अभियुक्त की शिनाख्त की थी, विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया जाता, तब तक शिनाख्त परेड अपना साक्ष्यिक मूल्य खो देती है। वर्तमान प्रकरण में,दो साक्षी विश्वनाथ साहू और तरुण साहू, जिनके समक्ष शिकायतकर्ता ने अभियुक्त गजेंद्र साहू की शिनाख्त की है, परंतु अभियोजन ने विचारण न्यायालय के समक्ष उनका परीक्षण नहीं कराया है, ऐसे में टीआईपी अपना महत्व खो देती है, अतः मेरा विचार है कि अभियोजन अभियुक्त गजेंद्र साहू के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतः अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. तदनुसार, अभियुक्त को उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, जिनके लिए उस पर विचारण चलाया गया था। अपीलार्थी को जमानत पर बताया गया है। उसके जमानत बंधपत्रों को इस स्तर पर उन्मोचित नहीं किया जाता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के दृष्टिगत बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे। तदनुसार, दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**